प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदया आपसे मुझे कहना है कि मैं इस सम्मानित सभा को तनिक उदास मन से संबोधित कर रहा हू।

हमारे देश के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। मध्य-पूर्व, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में अशांति का वातावरण है। हमारे देश के साठ लाख नागरिक इन देशों में रह रहे हैं। हमें हमारे उन नागरिकों के भविष्य की चिंता होनी चाहिए। हमारी 70 प्रतिशत तेल-आपूर्ति मध्य पूर्व से होती है। यदि इस क्षेत्र में संघर्ष और बढ़ता है तो ऊर्जा-सुरक्षा हेतु हमारे प्रयासों पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा। मैंने सोचा था कि यह सम्मानित सभा इस अवसर पर परस्पर दलगत भावना से प्रेरित होकर नहीं वरन् एक होकर, उन लोगों की एक सभा के रूप में विचार करेगी जो इस देश के शासन के उत्तरदायित्व की भावना से अभिप्रेरित होकर इस प्रकार एक व्यवहार्य रणनीति तैयार करने में लगे हैं कि हमें इस उभरते घटनाक्रम के संबंध में क्या और कैसे कार्रवाही कर सकते हैं। पर बजाय इसके, हमने यह मुद्दा चुना कि किसी दूतावास का कोई कर्मचारी हमारे बारे में क्या लिख रहा है। मैं सभा को चेताना चाहता हूं कि यह तरीका खतरनाक है। कल को यदि किसी और विदेशी दूतावास का कोई कर्मचारी हमारे देश के राजनीतिक दलों के बीच परस्पर तनाव और फूट का वातावरण बनाना चाहे तो उसे केवल यही करना होगा कि वह एक राजनयिक संदेश रचे और सुनिश्चित करे कि किसी तरह वह लीक हो जाए। मेरा मानना है कि इस राष्ट्र, इस देश और इसकी सम्मानित संसद को यह विचारना चाहिए कि आखिर इसका हमारे देश पर क्या असर होगा। मैं ऐसा किसी दलगत भावना से नहीं बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे इसके परिणाम के बारे में, और इस घटनाक्रम से हमारे देश के भावी प्रबंधन पर होने वाले प्रभाव के बारे में चिंता है।

इन शब्दों के साथ मैं मुख्य विषय पर बयान आता हूं। मैं साफ कह दूं कि श्रीमती सुषमा जी के वाक्-कौशल का मैं कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने उर्दू में एक शेर कहा मैं भी यह कहूंगा कि: *[हिन्दी]* माना के तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं ..*(व्यवधान)*

''माना के तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं
तू मेरा शौक तो देख मेरा इंतजार देख।''

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया, यह पहली बार नहीं है कि मुझे अपने संसदीय कैरियर में विपक्ष से इस प्रकार के प्रहार का सामना करना पड़ा है जिसके आप साक्षी रहे हैं। मुझे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री की नियति से होकर गुजरना था। वर्ष 2004 से मुख्य विपक्षी दल ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि हम सत्ता को जबर्दस्ती हड़पने वालों में से थे। श्री आडवाणी जी मानते हैं कि प्रधानमंत्री बनना उनका जन्मसिद्ध अधिकार था...*(व्यवधान)* और अत: उन्होंने मुझे कभी माफ नहीं किया...*(व्यवधान)* मैं श्री आडवाणी जी से इतना कहना चाहता हू कि भारत के लोगों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान में हमें सत्ता में लाया है, कृपया साढ़े तीन वर्ष और प्रतीक्षा करें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि कई सदस्यों ने नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास से वाशिंगटन में अपने प्राधिकारियों को भेजे गए कथित केबल के बारे में अखबार में छपी रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाए थे। विपक्ष के नेता के अनुरोध के संबंध में मैंने इस सम्मानित सभा में इस विषय पर 18 मार्च, 2011 को एक वक्तव्य दिया था।

महोदया, मैं दुहराता हूं कि भारत सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह ऐसे संवाद की सत्यता या विषयवस्तु की पुष्टि करे। यदि ऐसा होता है तो उन्हें नई दिल्ली में स्थित अमरीकी राजनयिक द्वारा वाशिंगटन में अपनी सरकार को सूचना दी जाएगी। हम दोनों में से किसी के द्वारा आपस में दी गई सूचना की जांच नहीं कर सकते। मेरे 18 मार्च, 2011 के वक्तव्य में मैंने यह भी कहा था कि इस सूचना में संदर्भित बहुत से लोगों ने उसकी प्रामाणिकता को सिरे से नकार दिया है...*(व्यवधान)*

महोदया, मेरे वक्तव्य में घूस खोरी के अपराध के संबंध में उठाए गए मुद्दे का भी उल्लेख था। आरोपों को खारिज करने के अलावा मैंने सम्मानित सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया था कि आरोपों की जांच चौदहवीं लोक सभा द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया था और समिति ने निष्कर्ष दिया था कि घूस देने के निर्णय पर पहुंचने के लिए साक्ष्य अपर्याप्त हैं। माननीय विपक्ष के नेता ने इस कथन के प्रमाणिकता पर प्रश्न उठाया है और मैंने उन्हें और विपक्ष के सदस्यों को इस बात को समझाने में बहुत समय दिया कि निकाला गया निष्कर्ष अनुचित है।

महोदया, इस संबंध में मैं तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी ने 16 दिसंबर, 2008 को इस सम्मानित सभा में समिति की रिपोर्ट पुर:स्थापित करते हुए जो कहा था, उसका संदर्भ लेता हूं तथा उसका उल्लेख करता हूं–

श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह कहा:

''समिति का निष्कर्ष यह है कि रिकार्ड की सामग्री निष्कर्ष रूप से यह साबित नहीं करती कि बैग में रखा गया धन, जिसे अंतत: सभा में दिखाया गया, वास्तव में उन व्यक्तियों द्वारा भेजा गया था जिन्हें विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के लिए श्री अशोक अर्गल, श्री फगन सिंह कुलस्ते और श्री महावीर सिंह भगोरा को सदन में करने के प्रयोजन के लिए कथित रूप से भेजा गया था। तथापि, समिति ने पाया कि इस प्रकरण में शामिल तीन व्यक्तियों द्वारा समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य अविश्वसनीय हैं और समिति ने सुझाव दिया है कि मामले में उनकी भूमिका की जांच जांच एजेंसियों द्वारा कराए जाने की आवश्यकता है''

श्री सोमनाथ चटर्जी ने आगे कहा:

''मैं तदनुसार उक्त तीन लोगों से संबंधित मामलों को समिति की सिफारिशों के आलोक में समुचित कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को संदर्भित करता हूं।''

अत: महोदया, मैंने जो कहा श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस रिपोर्ट को पुरस्थापित करते हुए ठीक वही कहा था अत: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं वे इस संबंध में मेरी साख पर संदेह नहीं करें।

महोदया, जब हमने रिपोर्ट की समग्रता में अध्ययन किया तो यही चीज़ सामने आई। किसी की सुविधा या किसी के दलील को समर्थन देने वाले खण्डों का उल्लेख करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने रिपोर्ट का अध्ययन किया था ओर यह मेरा सुविचारित निर्णय है कि इस आधार पर जो मैंने कहा कि समिति निष्कर्ष पर पहुंची कि घूस देने का कोई साक्ष्य नही दें, वह ठीक है। मैं पुन: समिति का उल्लेख करता हूं। समिति ने अपने पैरा 168 में इस प्रकार टिप्पणी की है–

''श्री संजीव सक्सेना, श्री सुहैल हिन्दुस्तानी और श्री सुधीन्द्र कुलकर्णी की भूमिका के संबंध में पैरा 141 विशेष रूप से 14 से 17 में मामलें में समिति के निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात् समिति सिफारिश करती है कि इस मामले की आगे की जांच समुचित जांच एजेंसी द्वारा की जाए।''

महोदया, मामले को दिल्ली पुलिस के पास जांच के लिए भेजा गया था। आगे की जांच चल रही है।

अध्यक्ष महोदया, मैं इसे सम्मानित सभा के विवेक पर छोड़ता हूं कि वह स्वयं निर्णय ले कि क्या समिति की रिपोर्ट किसी रूप में विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की पुष्टि करता है।

महोदया, मैं पुन: स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी या सरकार से कोई भी व्यक्ति 2008 में विश्वास मत के दौरान किसी भी गैर कानूनी कार्य में लिप्त नहीं था। हम किसी भी ऐसे कृत्य में शामिल नहीं है और हमने किसी व्यक्ति को ऐसे कृत्य में शामिल होने के लिए प्राधिकृत नहीं किया।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, अभी नियम, 193 के अंतर्गत जो चर्चा हम कर रहे हैं, उसके बाद हमें कुछ विधायी कार्य जरूर करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। श्री गुरुदास दासगुप्त, मैं इस पर बाद में लौटूंगी।

श्री गुरुदास दासगुप्त : अध्यक्ष महोदया, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मैं बाद में आपकी बात पर विचार करूंगी।

...(व्यवधान)

अपराह्न 4.54 बजे

वैज्ञानिक तथा नवीकृत अनुसधान अकादमी विधेयक, 2010

अध्यक्ष महोदया : अब हम मद संख्या 14 पर आते हैं। श्री पवन कुमार बंसल।